

कार्यपालिका सारांश

पृष्ठभूमि

राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005, संशोधित 2011 एवं 2016, बजट अभिलेखों, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक समीक्षा मानक तथा विभिन्न शासकीय विभागों एवं संगठनों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2016 के समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

प्रथम अध्याय, वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति में शासन की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह राज्य की संपूर्ण वित्तीय स्थिति, समर्पित व्यय तथा उधार पद्धति के बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति की प्रवृत्तियों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा बजट के बाहर अन्य माध्यम से निधियों के हस्तांतरण का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

द्वितीय अध्याय, विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह अनुदानवार विनियोग का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों के द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसमें दो अनुदानों, अनुदान संख्या 27 "स्कूल शिक्षा विभाग" तथा अनुदान संख्या 69 "नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग" की विस्तृत समीक्षा भी की गई है। इसमें पता लगने की कोशिश की गई है कि क्या विनियोग विधेयक के प्राधिकरण के अंदर विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय हुआ है।

तृतीय अध्याय, विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन के अनुपालन की सूची है। यह प्रतिवेदन लेखारीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न शासकीय विभागों/ संगठनों से प्राप्त आंकड़ों को भी संकलित करता है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रथम अध्याय: राज्य शासन के वित्त

राजकोषीय स्थिति:

- वर्ष 2015–16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, चौदहवें वित्त आयोग में किए गए 14.42 प्रतिशत के प्रावधान के विरुद्ध 6.40 प्रतिशत था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिक्य ₹ 2,367 करोड़ था और यह राजस्व अधिक्य बना रहा जैसा कि 14वें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा परिकल्पित किया गया था।
- वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 4,574 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.82 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित 3.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

(कंडिका 1 एवं 1.1.2)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

- विभिन्न समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2014–15 में राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों का सीधा अंतरण वर्ष 2014–15 में ₹ 335.65 करोड़ से ₹ 130.65 करोड़ (38.92 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 466.30 करोड़ हो गया।

(कंडिका 1.2.2)

संसाधन गतिशीलता

- पिछले वर्ष की ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 में राज्यव्यवस्था प्राप्तियों (₹ 46,068 करोड़) में ₹ 8,080 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि का मुख्य कारण पिछले वर्ष के विरुद्ध संघ कर में राज्य का अंश (₹ 7,353 करोड़: 87.92 प्रतिशत) तथा कर राजस्व (₹ 1,368 करोड़: 8.71 प्रतिशत) में वृद्धि होना था।
- पिछले वर्ष की तुलना में सहायक अनुदान ₹ 926 करोड़ (10.31 प्रतिशत) घट गया।

(कंडिका 1.3)

राजस्व उत्प्लावकता

- राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2015–16 में 3.32 के उच्चतम स्तरपर पहुँच गया जिसका कारण पिछले वर्ष (18.53 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि दर के बढ़ने से हुई। वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्तियाँ मुख्य तौर पर केन्द्रीय कर अंतरण के ₹ 15,716.47 करोड़ बढ़ने से हुई जबकि वर्ष 2015–16 में यह ₹ 8,363.03 करोड़ था।

(कंडिका 1.3)

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकताएं

- वर्ष 2015–16 में राजस्व व्यय में ₹ 4,140 करोड़ (10.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह बजट अनुमान (₹ 53,730 करोड़) से ₹ 10,029 करोड़ कम था। आगे, वर्ष 2015–16 के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय (₹ 51,811 करोड़) का 84.35 प्रतिशत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 17.38 प्रतिशत था। कुल राजस्व व्यय में आयोजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2014–15 में 53 प्रतिशत से घट कर 2015–16 में 47 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015–16 में आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 23,172 करोड़) में पिछले वर्ष की तुलना में 24.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.3, 1.6.1, 1.6.2.1 एवं 1.6.2.2)

- वर्ष 2015–16 के दौरान, पिछले की तुलना में पूँजीगत व्यय में 21.40 प्रतिशत (₹ 1,401 करोड़) की वृद्धि हुई। जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय के अंतर्गत परिवहन पर ₹ 478 करोड़, ग्रामीण विकास योजनाओं पर ₹ 264 करोड़, शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर ₹ 236 करोड़ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर ₹ 198 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।

(कंडिका 1.6.4)

- राज्य के द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता वर्ष 2014–15 में ₹ 10,573.31 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 9,678.18 करोड़ हो

गई। सब्सिडी पर व्यय 2014–15 में ₹ 3,747 करोड़ से ₹ 3,650 करोड़ (97.41 प्रतिशत) बढ़कर 2015–16 में ₹ 7,397 करोड़ हो गयी।

(कंडिका 1.6.6)

अपूर्ण परियोजनाएं

- मार्च 2016 की स्थिति में, 194 अपूर्ण परियोजनाएँ अपने कार्यपूर्णता के नियत तिथि से परे थी, जिसमें ₹ 5,912 करोड़ अवरुद्ध हुआ। कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम आकृष्ट करता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

(कंडिका 1.8.1)

शासकीय निवेशों पर प्रतिफल

- 31 मार्च 2016 की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों, बैंकों एवं समितियों आदि में ₹ 6,192.22 करोड़ निवेश किया। वर्ष के दौरान शासन का निवेश पर प्रतिफल (₹ 5.73 करोड़) 0.09 प्रतिशत था यद्यपि औसत ऋण लागत 6.25 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.8.2)

राजकोषीय दायित्व

- वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य के राजकोषीय दायित्वों (₹ 37,817 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 22.07 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 13.11 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.04 प्रतिशत था जो कि मुख्यतः वर्ष 2014–15 के आंतरिक ऋण ₹ 18,195 करोड़ की तुलना में ₹ 24,215 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.9.2)

ऋण प्रबंधन

- उधार निधियों की कुल उपलब्धता वर्ष 2014–15 में ₹ 4,551 करोड़ से आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 4,687 करोड़ हो गई। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात वर्ष 2014–15 में 4.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 4.66 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.10.2)

द्वितीय अध्याय: वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण बड़ी बचत

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 20,083.91 करोड़ का बचत थी, जो कि त्रुटिपूर्ण बजट प्राक्कलन की ओर इंगित करती है। विगत पाँच वर्षों से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित 10 अनुदान में सतत बचत देखे गये।

(कंडिका 2.3 एवं 2.4.4)

पिछले वर्ष के संबंध में अतिरेक प्रावधान पर नियमितता की जरूरत

- वर्ष 2015–16 के दौरान तीन अनुदानों एवं दो विनियोगों में प्रावधान से अधिक ₹ 98.24 करोड़ का व्यय हुआ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत

नियमित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही अवधि 2000–15 के अतिरेक व्यय राशि ₹ 3,146.93 करोड़ को अभी तक नियमित करना अपेक्षित है।

(कंडिका 2.4.11 एवं 2.4.12)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से तीन अवसरों पर एम्बुलेंस की खरीदी, क्षेत्रीय कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लिए एवं डिक्री राशि के भुगतान के लिए व्यय हेतु ₹ 1.72 करोड़ के तीन निकासी राशियों का अग्रिम आहरण किया गया जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

(कंडिका 2.5)

तृतीय अध्याय: वित्तीय प्रतिवेदन

अनुदानों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

- छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों से सहायता अनुदान के देयक धनराशि ₹ 10,502.86 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2007–08 से 2015–16 के दौरान कुल 4237 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2016 तक लंबित है। यह उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यतः तीन विभागों से लंबित थे जो कि सामान्य शिक्षा विभाग (651 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ₹ 574.58 करोड़), नगरीय विकास विभाग (574 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ₹ 2201.18 करोड़) तथा अन्य ग्रामीण विकास विभाग (1284 उपयोगिता प्रमाण पत्र, ₹ 1167.79 करोड़)। सहायक अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए जो कि विभागीय अधिकारियों के नियत उद्देश्यों हेतु प्रदत्त अनुदानों के समयबद्ध उपयोगिता निश्चित करने में नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन करने में असफलता प्रदर्शित करता है।

(कंडिका 3.1)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

- नौ स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुए थे, जिससे स्वायत्त निकायों के कामकाज की जाँच में विलंब हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर निधियों का आहरण

- मार्च 2016 की स्थिति में विस्तृत आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान आहरित राशि ₹ 645.86 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयक लंबित थे। ₹ 645.86 करोड़ के कुल 303 ए.सी. देयक का लंबन मुख्यतः खाद्य संग्रहण एवं भंडारण (₹ 338.24 करोड़), ऊर्जा (₹ 281.02 करोड़), उद्योग (₹ 9.68 करोड़), लौह एवं इस्पात उद्योग पर पूंजीगत व्यय (₹ 9.00 करोड़) तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग (₹ 7.80 करोड़) के कारण था।

(कंडिका 3.3)

व्यक्तिगत जमा खाते का अनुरक्षण

- व्यक्तिगत जमा खाते, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी जारी रखे गये थे। मार्च 2016 की स्थिति में 292 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,696.46 करोड़ का महत्वपूर्ण अंतः शेष था।

(कंडिका 3.4)

हानि तथा दुर्विनियोग के प्रकरणों का प्रतिवेदन

- राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा हानि, दुर्विनियोग आदि के 2,218 प्रकरणों में ₹ 117.02 करोड़ के शासकीय धन का मार्च 2016 की स्थिति में निपटारा अपेक्षित था।

(कंडिका 3.5)

कर्मकार उपकर का अंतिम शेष

- नवंबर 2016 तक चेक अस्वीकृत होने तथा असमाशोधित पड़े रहने के कारण ₹ 6.08 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य संरचना श्रमिक कल्याण बोर्ड (सी.जी.बी. एवं ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बी.) में जमा नहीं हुई थी।

(कंडिका 3.9.4.2)

समान लाभार्थी को दोहरा लाभ प्रदाय किये जाने के कारण ₹ 48.47 लाख का अधिक भुगतान

- 1374 श्रमिकों (799+575) को दोनों योजनाओं मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना और मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय किया गया जिसमें 799 वैसे श्रमिक थे जिन्हे सायकल प्रदाय की गयी जो सिलाई मशीन का लाभ ले चुके थे तथा 575 वैसे श्रमिक थे जिन्हे सिलाई मशीन प्रदाय की गयी जो सायकल का लाभ ले चुके थे, जो कि अधिसूचना के विरुद्ध था।

(कंडिका 3.9.4.5)